न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मोनिका जाखड़ R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2022 / 419

प्रकरण संख्या 182 / 22

अनवान

1. नरेन्द्र सिंह पिता मोहनसिंह राजपुत निवासी डाबियों का खेडा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0।

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार जी कानोड, जिला उदयपुर राज0।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

—: : निर्णय : :—

दिनांक :—24.01.2023

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि मौजा डाबियो का खेडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 8 व 28 में प्रार्थी महेन्द्रसिह पुत्र मोहनसिंह राजपुत के नाम दर्ज है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम अशुद्ध होने से प्रार्थी द्वारा अपना नाम महेन्द्र सिहं के बजाय नरेन्द्र सिंह राजपुत दुरस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके तथ्य इस प्रकार है कि :—

I. यह कि राजस्व ग्राम डाबियों का खेडा जमाबदीं संवत् 2078—81 की खाता संख्या 8 व 28 पर प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत निवासी डाबियों का खेडा दर्ज रिकॉर्ड है। यह कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत है और प्रार्थी के आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में भी नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत दर्ज है प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत के नाम से जाना जाता है।

II. यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में महेन्द्र सिंह के बजाय नरेन्द्र सिंह राजपुत दर्ज किया जाता है तो किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार कानोड द्वारा प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत के बजाय नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत संशोधित किये जाने की अनुशंसा की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:06 IST
Reason: SelfAttested

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया व प्रार्थना पत्र

स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के कथनानुसार मौजा डाबियो का खेडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 8 व 28 में प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत अंकित है। प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अशुद्ध होने से दुरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड व पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अध्ययन से यह पाया की राजस्व ग्राम डाबियों का खेडा जमाबदीं संवत् 2078–81 की खाता संख्या 8 व 28 पर प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत निवासी डाबियों का खेडा दर्ज रिकॉर्ड है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत है और प्रार्थी के आधार कार्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेज में भी नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत दर्ज है प्रार्थी को ग्राम एवं सामाजिक स्तर पर भी नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत के नाम से जाना जाता है। तहसीलदार कानोड द्वारा नाम संशोधन की अनुशंषा की। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे आधार कार्ड की प्रति, शैक्षणिक दस्तावेज की प्रति व कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया कि महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह व नरेन्द्र सिंह पुत्र मोहनसिंह नाम का एक ही व्यक्ति है व व्यक्तिगत रूप से जानना बताया।

4. अतः उपरोक्त विवेचन एवं तहसीलदार कानोड, पटवारी हल्का की रिपोर्ट, कार्यालय ग्राम पंचायत सारंगपुरा (भीण्डर) का प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा डाबियो का खेडा पटवार हल्का सारंगपुरा (भीण्डर) तहसील कानोड जिला उदयपुर राज0 की खाता संख्या नया 8 व 28 में प्रार्थी का नाम महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत के बजाय नरेन्द्र सिंह उर्फ महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह राजपुत संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले ईजलास आज दिनांक 24.01.2023 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Monika Jakhar
Date: 2023.02.22 14:40:06 IST
Reason: SelfAttested